


कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर
—संशोधित आदेश—

क्रमांक / 3810 / एस.डब्ल्यू. / 2021

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 2021.

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 13.03.2021, दिनांक 16.03.2021, दिनांक 19.03.2021, दिनांक 22.03.2021, दिनांक 24.03.2021, 26.03.2021, 31.03.2021 एवं पत्र क्रमांक एफ 35-09 / 2020 / दो / सी-2 भोपाल दिनांक 07.04.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में एवं 30.04.2021 को माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में लिये निर्णय के अनुक्रम में इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 2525 / एस.डब्ल्यू. / 2021 जबलपुर दिनांक 09.04.2021, क्रमांक 3876 / एस.डब्ल्यू. / 2021 जबलपुर दिनांक 10.04.2021, क्रमांक 3881 / एस.डब्ल्यू. / 2021 जबलपुर दिनांक 13.04.2021, क्रमांक 3796 / एस.डब्ल्यू. / 2021 जबलपुर दिनांक 20.04.2021 एवं क्रमांक 3801 / एस.डब्ल्यू. / 2021 जबलपुर दिनांक 25.04.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये मैं कर्मवीर शर्मा, जिला दण्डाधिकारी, जिला जबलपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कोरोना कर्फ्यू के तहत जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे दिनांक 01.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक 17.05.2021 के प्रातः 06.00 बजे तक संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत जनता कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।


(कर्मवीर शर्मा)
जिला दण्डाधिकारी,
जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / 3810 / एस.डब्ल्यू. / 2021

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 2021.

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
5. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / नोडल अधिकारी, जबलपुर।
9. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर-1, 2 / ग्रामीण, जिला जबलपुर।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सर्व जिला जबलपुर।
12. पुलिस कंट्रोल रूम, जबलपुर।
13. केन्द्र निदेशक, आकावाणी / दूरदर्शन जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, जबलपुर की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
15. प्रबंधक, ई-गव्हर्नेंस, जबलपुर की ओर संदेश प्रसारित करने हेतु अग्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
जबलपुर